न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय जमुई
सत्र वाद संख्या–538 / 2022

बिहार सरकार
बनाम
मिथलेश यादव

आदेश

15.11.2022. 1. आवेदक / अभियुक्त मिथलेश यादव की ओर से दिनांक–14.11.2022 को दाखिल नियमित जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश रावत द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दे दी गई है। सुनवाई के समय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

2. औपचारिक प्राथमिकी सूचक प्रदीप यादव के लिखित कथन पर दर्ज की गई है और अपने लिखित कथन में सूचक का कहना है कि घटना की तिथि दिनांक–22.07.2021 को समय 04:00 बजे वह अपने परिवार के लोगों के साथ ट्रैक्टर से जमीन की जुताई कर रहा था इतने में संतोश यादव, निर्मल सिंह, मिथलेश यादव(आवेदक), रोहित यादव एवं छोटू यादव सभी लोग अपने अपने हाथ में लाठी, डंडा एवं खंती तथा संतोश यादव पिस्टल एवं निर्मल सिंह पिस्टल एवं रड लेकर मारने लगा और गाली गलौज देते हुए खेत जोतने से माना कर दिया। सूचक ने जब उन्हें समझाना चाहा और कहा कि जमीन उसने सात वर्ष पूर्व खरीदा है तो संतोश यादव अपने हाथ में लिए खंती से जान मारने के नियत से सूचक के सिर पर एवं हाथ पर वार कर दिया जिससे सिर फट गया और हाथ भी टूट गया। जब सूचक को बचाने उसका भाई अभिनंदन कुमार प्रभाकर एवं उसका लड़का राहुल कुमार आया तो उसके साथ भी मारपीट किया गया और बाद में सभी लोग पिस्टल से फायरिंग करते हुए एवं जान मारने की धमकी देकर घटनास्थल से चले गए।

3. सुनवाई के समय आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन में कही गई बातों को दोहराते हैं और कहते हैं कि आवेदक / अभियुक्त इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई भी नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया है। आवेदक निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक को झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध पूर्व से एक अन्य वाद सिकंदरा थाना कांड सं0–279 / 21 लंबित है जिसमें वह जमानत पर है। इसके अतिरिक्त आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कि 307 भा.द.वि. एवं 27 शस्त्र अधिनियम को छोड़कर बाकी अधिरोपित सभी धाराएं जमानतीय हैं। ये भी कहते हैं कि आवेदक के विरूद्ध मारपीट करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। अंत में कहते हैं कि प्राथमिकी आवेदन से ही स्पष्ट है कि पक्षकारों के बीच में जमीनी विवाद है। सह अभियुक्त संतोष यादव एवं निर्मल सिंह को पूर्व में जमानत पर छोड़ा गया है। आवेदक दिनांक–30.05.2022 से ही काराधीन है। अतः आवेदक को जमानत पर छोड़ा जाये।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5. उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्राथमिकी में ही पक्षकारों के बीच में जमीनी विवाद

—लगातार—
15.11.2022

होने की बात आयी है। प्राथमिकी आवेदन में सूचक का कहना है कि जब वह जमीन जोत रहा था तो आवेदक एवं अन्य अभियुक्तगण द्वारा उसे जमीन जोतने से रोका गया और उसके साथ मारपीट की गई। कांड दैनिकी के पैरा—39, 40, 41 में जख्मी का जख्म प्रतिवेदन है कुछ जख्म गंभीर प्रकृति के पाये गये हैं और सूचक प्रदीप यादव को माथे पर हेयर लाईन फ्रेक्चर पाया गया है। जख्मी राजु कुमार को भी माथा में भी हेयर लाईन फ्रेक्चर पाया गया है। आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित है और वाद का दौरा सुपूर्दगी किया जा चुका है। सह अभियुक्त को पूर्व में जमानत पर छोड़ा गया है। आवेदक दिनांक—30.05.2022 से काराधीन है और उसने स्वयं से ही न्यायालय में आत्म समर्पण किया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए और यह विचार करते हुए कि सह अभियुक्तों को पूर्व में जमानत पर छोड़ा जा चुका है, आवेदक मिथलेश यादव को न्यायालय के संतुष्टिप्रद 10,000/— रूपये के दो प्रतिभू एवं उतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत की सुविधा दी जाती है। आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा एवं विचारण के दौरान किसी भी गवाह को प्रताड़ित नहीं करेगा और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और इस संबंध में न्यायालय में अंडरटेकिंग दाखिल करेगा।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
जमुई।